आवश्यक/तत्काल

संख्या:50/2022/946/1392012/12-2099/111/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2022

विषय: भारत सरकार द्वारा भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे भारत का अमृत महोत्सव-भारत @75 के अन्तर्गत दिनांक 01 जुलाई, 2022 से दिनांक 07 जुलाई, 2022 तक तीसरे फसल बीमा सप्ताह मनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 13017/05/2020-क्रेडिट-II-PI, दिनांक 16 जून, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'भारत का अमृत महोत्सव' अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करने, योजना के सम्बन्ध में कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान करने एवं योजना में कृषकों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 01 जुलाई, 2022 से दिनांक 07 जुलाई, 2022 तक फसल बीमा योजना सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. योजना के सभी हितधारकों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 75 सप्ताह के बनाए गए रणनीतिक कार्य योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

(1) योजनान्तर्गत कृषकों की भागीदारी में तेजी लाने के उद्देश्य से खरीफ मौसम में जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। बीमा कम्पनी, बैंक व जनसुविधा केन्द्रों के सहयोग से प्रदेश के चयनित 75 जनपदों के 75 विकास खण्डों में जहां पर बीमित कृषकों की संख्या कम है, विशेषकर आकांक्षी व जनजातीय बाहुल्य जनपदों के ब्लॉकों का चयन करते हुए गहन अभियान चलाकर कृषकों की सहभागिता बढ़ायी जाएगी।

(2) इस अभियान के 75 सप्ताह में 75 किसानों की सफलता की कहानी, प्रति सप्ताह प्रति कृषक की दर से सभी सोशल मीडिया प्लेट-फार्म पर अपलोड किया जाएगा।

(3) भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या: 13017/05/2020-क्रेडिट-II-PI, दिनांक 16 जून, 2022 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्यों में संचालित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है एवं आकांक्षी जनपद एवं जनजातीय बाहुल्य जनपदों को शामिल करते हुए

http://sirsaganj.up.gov.in

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की कम भागीदारी वाले देश के 75 जनपदों के 75 विकास खण्ड का चयन करते हुए वहॉ पर गहन प्रचार-प्रसार कर कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त चयनित जनपदों में प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपदों के निम्नवत ब्लॉक चयन किए गए हैं:-

बहराइच (रिसिया), श्रावस्ती (सिरसिया), बलरामपुर (उतरौला), सिद्धार्थनगर (लाटन), फतेहपुर (बिजयीपुर), चित्रकूट (राम नगर), सोनभद्र (बभनी), चन्दौली (नियमताबाद)

3. फसल बीमा सप्ताह के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा निम्नवत व्यवस्था की जा रही है:-

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरूरी सन्देश का प्रसार आडियो विज्यूवल और रेडियो को माध्यम से क्षेत्रीय चैनलों पर स्थलीय कैम्पेन के रूप में किया जाएगा।

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन व आल इण्डिया रेडियो चैनल पर वीडियो क्लिप प्रसारित किए जायेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाएगा।

(iii) क्षेत्रीय समाचार पत्रों में क्षेत्र के लाभार्थी कृषकों की सफलता की कहानी पर प्रेस-विज्ञप्ति प्रसारित की जाएगी।

(iv) फेसबुक, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से ई-संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कृषकों की शंकाओं के समाधान को प्रमुखता दी जाएगी।

(v) चयनित जनपदों लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव व रायबरेली के प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाने का कार्य मा0 कृषि मंत्री जी द्वारा कृषि निदेशालय से दिनांक 01 जुलाई, 2022 को प्रात: 10.00 बजे किया जाएगा। इसके पश्चात प्रचार वाहन अपने-अपने जनपदों को रवाना होंगे तथा इन जनपदों में दिनांक 02 जुलाई, 2022 को कार्यक्रम का आयोजन कराते हुए जिलाधिकारी द्वारा प्रचार वाहनों को भ्रमण हेतु रवाना किया जाएगा।

(vi) संबंधित जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 को प्रात: 10.00 बजे इस प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाते हुए जनपद के ब्लॉको/न्याय पंचायतों/ग्राम पंचायतों में निर्धारित रूट के अनुसार प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु रवाना किया जाएगा।

(vii) योजना से संबंधित प्रचार वाहन द्वारा लोकगीत और योजना से संबंधित फिल्म दिखाने के पश्चात पूर्व निर्धारित रूट के अनुसार दूसरे स्थान पर चले जायेंगे।

(viii) संबंधित जनपद के उप कृषि निदेशक, जनपद के बीमा प्रतिनिधि के सहयोग से प्रचार-प्रसार वाहन के रूट का निर्धारण इस प्रकार करेंगे कि प्रचार-प्रसार अवधि में जनपद के सभी ब्लॉक व न्याय पंचायत कवर हो जायें। न्याय पंचायतों के चयन में कम बीमा कवर वाले विकास खण्डों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

(ix) जनपदों में बैठक/कैम्प का आयोजन किया जाएगा। उप कृषि निदेशक द्वारा तैयार किए जाने वाले क्षण-प्रतिक्षण कार्यक्रमों में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाएगा:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

(ख) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तैयार फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा।

(ग) फसल बीमा पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

(घ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर किसानों की शंकाओं का समाधान मौके पर उप कृषि निदेशक/बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा।

(x) जनपद मुख्यालय पर आयोजित बैठक/कैम्प में जनपद के 05 सर्वाधित क्षतिपूर्ति पाने वाले बीमित कृषक, सर्वाधिक बीमा करने वाले बैंक शाखा के प्रबंधक, सर्वाधिक बीमा करने वाले जनसुविधा केन्द्र के प्रतिनिधि एवं योजना के क्रियान्वयन में सराहनीय योगदान करने वाले कृषि विभाग/उद्यान विभाग के कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। खरीफ, 2021 मौसम के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले कृषकों की सूची तैयार की जाएगी। पुन: उसी सूची से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित सर्वाधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले 04 कृषक एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से 01 (एक) कृषक का चयन किया जाएगा, यदि सूची में कोई महिला कृषक को हो तो एक महिला कृषक, जो महिला कृषकों में सर्वाधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त की हो, उसे भी सम्मिलित कर सम्मानित किया जाएगा। कार्मिकों का चयन जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला उद्यान अधिकारी द्वारा संबंधित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से किया जाएगा।

(xi) जनपद के संबंधित बीमा कम्पनियों द्वारा जनपद के सभी बैंक शाखाओं, जनसुविधा केन्द्रों पर आयोजन से संबंधित बैनर, पोस्टर आदि लगायेंगे और आवश्यक मात्रा में पम्पलेट्स, लीफलेट्स आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

(xii) प्रचार-प्रसार मुख्यत: कृषकों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने, योजना के प्रति उत्पन्न जिज्ञासाओं के निराकरण करने एवं योजना में बैंकों व जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर केन्द्रित होगा।

(xiii) प्रचार-प्रसार में ग्राम प्रधान का भी सहयोग प्राप्त किया जाए। कृषकों के द्वारा उठाये गए जिज्ञासाओं का निराकरण यथासमय तत्काल कराने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही जनपद के 05 सम्मानित कृषकों के आडियो/वीडियो बनाया जाएगा एवं उसका उपयोग में योजना के प्रचार-प्रसार में किया जाएगा। कम्पनी के स्तर से लगाए जाने वाले पोस्टरों में सम्मानित कृषकों के नाम तथा मोबाइल नम्बर एवं फोटो भी प्रदर्शित किए जायेंगे।

(xiv) अभियान अवधि में बैंक शाखायें एवं जनसुविधा केन्द्र के अधिकारियों द्वारा कृषकों के पंजीकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(xv) जनपद में कार्यक्रम स्थल का चयन उप कृषि निदेशक द्वारा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से किया जाएगा। न्याय पंचायतों का चयन बीमित कृषकों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में किया जाएगा। अन्य न्याय पंचायत को चयनित

http://shrasonadesh.up.gov.in

न्याय पंचायतों से दूरी के हिसाब से सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार जनपद के सम्पूर्ण न्याय पंचायतों में कार्यक्रम लागू किए जायेंगे।

(xvi) प्रचार वाहन जनपद में 10 दिन चलेंगे, ऐसी स्थिति में जो विकास खण्ड छूट जायेंगे, वहॉ फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक स्थानों, जहॉ प्रचार वाहन प्रचार-प्रसार के लिए रूकेगा अथवा फसल बीमा पाठशाला का आयोजन होगा, वहॉ पर कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रतिनिधि कृषकों का बीमा करने के लिए आयोजन स्थल पर उपलब्ध रहेंगे।

(xvii) फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के क्रम में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल ग्रैफिटी पेन्टिंग भी कराया जाना है।

(xviii) जनपद के उप कृषि निदेशक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के सहयोग से प्रचार-प्रसार हेतु अभियान अवधि के कार्यक्रम को निर्धारित करते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभियान को सफल बनाने के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(xix) समस्त कार्यो का सम्पादन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में नामित नोडल अधिकारी, उप कृषि निदेशक द्वारा किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी इस कार्य को समयान्तर्गत सम्पन्न कराने हेतु सह नोडल के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश में आयोजित होने वाले उक्त अभियान का पर्यवेक्षण/समीक्षा शासनादेश संख्या: 866/12-2-2019-60(14)/ 2017, दिनांक 19 मार्च, 2019 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा किया जाएगा और इसके सफल सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कृपया जनपद स्तर पर निर्धारित कार्य योजना के अनुसार अपने-अपने विभागीय अधिकारियों और राज्य कर्मियों को इस अभियान में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें जिससे इस अभियान के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:50/2022/946/1392012/12-2099/111/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमएफबीवाई), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. उपायुक्त, क्रेडिट-II, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

http://sfsamadhan.up.gov.in

8. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलीय, संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. समस्त जिला कृषि अधिकरी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. क्षेत्रीय प्रबंधक, एचडीएफसी-एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय प्रबंधक, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. प्रबंधक, यूनिवर्सल सोमपो जनरल कम्पनी इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. प्रबंधक, कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी), 2/496, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in